:: आदेश ::

मानसून सत्र–2019 गतिमान होने के दृष्टिगत जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत समस्त कार्यालयाध्यक्षों/अधिकारियों को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अधोहस्ताक्षरी की बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। किसी भी प्रकार का अवकाश/मुख्यालय छोड़ने विषयक प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से ही विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा व विशेष परिस्थितियों में ही इस स्तर से अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृति/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को अग्रसारित किया जायेगा।

वर्तमान में मानसून सत्र के दृष्टिगत समय–समय पर शासन स्तर से आहूत वीडियो कांफ्रेसिंग में जिला स्तरीय अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को जनपद मुख्यालय न छोड़ने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय अधिकारी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अथवा अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय से बाहर चले जा रहे हैं, जो उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

अतः मानसून अवधि में दैवीय आपदा की घटनाऐं घटित होने की सम्भावना के दृष्टिगत तत्काल प्रतिवादन (quick responce) हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर सर्तकता बनाये रखेंगे। यदि कोई भी अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष बिना पूर्व अनुमति/अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय से बर्हिगमन करेगा अथवा अनुपस्थित रहेगा तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/–

(मंगेश घिल्डियाल)
जिला मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय : जिला मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग।

संख्याः 1195 /पी0ओ0/2019 दिनांकः 02 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– पुलिस अधीक्षक, रूद्रप्रयाग।
5– समस्त कार्यालयाध्यक्ष/अधिकारी, जनपद रूद्रप्रयाग।
6– प्रभारी अधिकारी (सं0का0), जिला कार्यालय, रुद्रप्रयाग।
7– जिला सूचना अधिकारी, रुद्रप्रयाग को व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार हेतु।
8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC, रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को जनपद की वेबसाइट www.rudraprayag@nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें

जिला मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner